कोविड-19 के संबंध में टोक्यो के निवासियों से अनुरोध

○ अभी कोविद-19 के मामलों की संख्या बहुत बढ़ रही है और परिस्थिति गंभीर हो गई है।
○ टोक्यो में संक्रमण को रोकने के लिए प्राथमिक उपाय करेंगे।
कोविड-19 के बढ़ाव को रोकना महत्वपूर्ण है।
○ कोविड-19 कोरोना के बढ़ाव को रोकने के लिए आपके दैनिक जीवन में बदलाव लाने का अनुरोध है।

कालावधि

जनवरी 21 (शुक्रवार) की आधी रात से फरवरी 13 (रविवार) की आधी रात तक

अनुरोध

टोक्यो के निवासी

○ जितना हो सके घर पर ही रहें।
○ जितना हो सके टोक्यो के अंदर मत आएँ और टोक्यो से बाहर मत जाएँ।
○ व्यस्त समय में या भीड़ वाली जगहों पर न जाएँ।
○ उन जगहों में न जाएँ जहाँ खिड़कियाँ न हों या अच्छी तरह से हवादार न हो।
○ लोगों से बात करते समय, उनके पास जाकर बात न करें और ऊँची आवाज़ में बात न करें।
○ अन्य लोगों से दूरी बनाए रखें।
○ मास्क पहनें।
○ दिन में कई बार अपने हाथ धो लें।
○ अगर आप परेशान हैं कि आपको कोविद-19 है तो PCR का टेस्ट कराएँ।

व्यापारी

<u>कार्य-समय घटाव, कार्यक्रम इत्यादि से संबंधित अनुरोध।</u>
※कृपया अगला पेज देखें।

一般財団法人
東京都つながり創生財団
Tokyo Metropolitan Foundation "TSUNAGARI"

प्रतिष्ठानों (जैसे रेस्टोरेंट और कैफ़े) से संबंधित अनुरोध ①

<table>
<tr><th>प्रतिष्ठान</th><th>अनुरोध</th></tr>
<tr><td>भोजनालय</td><td rowspan="3">
● लागू 'उद्योग दिशानिर्देशों' का पालन करें।

● ‘तेत्तेयी तेंकेन टोक्यो सहयोग’ परियोजना के ‘संक्रमण रोकथाम निरीक्षण प्रमाणपत्र※।’ प्राप्त कर के उसे अपने स्थापन के सामने प्रदर्शित करके आप :
・① या ② का पालन करें।
① दुकान खोलने का समय : सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक
शराब देने का समय: सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक
मेहमानों के लिए अपनी शराब लेकर दुकान में आने का समय : सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक
② दुकान खोलने का समय: सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक
शराब मत दें और मेहमानों को अपनी शराब ले आने मत दें।

・एक जगह पर 4 लोगों तक का समूह बिठा सकेंगे।
अगर ‘सभी लक्षित व्यक्तियों का टेस्ट※2’ (टोक्यो सरकार का नियम) से यह पता चला कि सभी लोगों को कोरोना नहीं है तो 5 लोगों से ज़्यादा भी बिठा सकेंगे।
डॉक्युमेंट जिससे पता चले कि सभी लोगों को कोरोना नहीं है, उसे देखकर चेक करें।

・ ‘तेत्तेयी तेंकेन टोक्यो सहयोग’ के नियमों का पालन करें।
</td></tr>
<tr><td>मनोरंजन से संबंधित प्रतिष्ठान</td></tr>
<tr><td>बैंक्वेट हॉल (विवाह भवन)</td></tr>
</table>

※।

※2

प्रतिष्ठानों (जैसे रेस्टोरेंट और कैफ़े) से संबंधित अनुरोध ②

<table>
<tr><th>प्रतिष्ठान</th><th>अनुरोध</th></tr>
<tr><td>भोजनालय</td><td rowspan="3">

● **जिन दुकानों को 'संक्रमण रोकथाम निरीक्षण प्रमाणपत्र※' प्राप्त नहीं हुआ है या जिन्होंने प्रमाणपत्र को अपनी दुकानों के सामने प्रदर्शित नहीं किया हो वह:**
・दुकान खोलने का समय: सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक
शराब नहीं दे सकेंगे।
मेहमान अपनी शराब लेकर दुकान में नहीं आ सकेंगे।
・एक जगह पर 4 लोगों तक का समूह बिठा सकेंगे।

● कराओके कराने वाले व्यापार
・किसी भी कमरे में बहुत लोगों को एकत्र होने न दें।
・अपने परिसर को अच्छी तरह से हवादार बनाए रखें।
・माइक्रोफ़ोन पर सैनिटाइजर का उपयोग करें।
・कोरोना के बढ़ाव को रोकने के लिए सावधानी बरतें।

</td></tr>
<tr><td>मनोरंजन से संबंधित प्रतिष्ठान</td></tr>
<tr><td>बैंक्वेट हॉल

(विवाह भवन)</td></tr>
</table>

※

प्रतिष्ठानों से संबंधित अनुरोध (अन्य)

<table>
<tr><th>प्रतिष्ठान</th><th>अनुरोध</th></tr>
<tr><td>फिल्म थिएटर, लाइव थिएटर, प्रदर्शन स्थल इत्यादि</td><td rowspan="11">
● कराओके पेश करने वाले व्यापार
･किसी भी कमरे में बहुत लोगों को एकत्र होने न दें।
･अपने परिसर को अच्छी तरह से हवादार बनाए रखें।
･माइक्रोफ़ोन पर सैनिटाइजर का उपयोग करें।
･कोरोना के बढ़ाव को रोकने के लिए सावधानी बरतें।

● हर प्रतिष्ठान अपने ग्राहकों से ये अनुरोध करें
･कि लंबे समय तक भोजन करना या शराब पीना मना है।

● जो दुकान और प्रतिष्ठान में प्रवेश करेंगे, उनकी संख्या कम करें।

● कृपया लागू 'उद्योग दिशानिर्देशों' का पालन करें।

● कोरोना के बढ़ाव को रोकने के लिए सावधानी बरतें।</td></tr>
<tr><td>सभा स्थल, सभा-हॉल इत्यादि</td></tr>
<tr><td>प्रदर्शनी स्थल, सांस्कृतिक हॉल इत्यादि</td></tr>
<tr><td>डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपिंग सेंटर, इत्यादि</td></tr>
<tr><td>होटल और सराय (केवल भोजन क्षेत्र)</td></tr>
<tr><td>बेसबॉल स्टेडियम, जिम, खेल स्थल इत्यादि</td></tr>
<tr><td>थीम पार्क और मनोरंजन पार्क, पचिनको पार्लर, वीडियो गेम आर्केड इत्यादि</td></tr>
<tr><td>संग्रहालय, कला दीर्घा, चिड़ियाघर इत्यादि</td></tr>
<tr><td>सार्वजनिक स्नानघर जिनमें निजी स्नान कक्ष हैं, वीडियो रेंटल स्टोर जिनमें निजी देखने के कमरे हैं इत्यादि</td></tr>
<tr><td>बड़े स्नान घर, एस्थेटिक उद्योग इत्यादि</td></tr>
<tr><td>ड्राइविंग स्कूल, रटना स्कूल, इत्यादि</td></tr>
</table>

प्रतिष्ठानों से संबंधित अनुरोध (अन्य) ②

<table>
<tr><th>प्रतिष्ठान</th><th>अनुरोध</th></tr>
<tr><td>फिल्म थिएटर, लाइव थिएटर, प्रदर्शन स्थल इत्यादि</td><td rowspan="11">■वह कार्यक्रम जिसमें लोग ऊँची आवाज़ नहीं निकालते
※'कैपेसिटी' लोगों की संख्या है, जिन्हें एक कार्यक्रम में फिट किया जा सकता है

・अगर कैपेसिटी 5,000 या उससे कम हो
→ तो पूरी कैपेसिटी तक OK
・अगर कैपेसिटी 5,001 से ज़्यादा हो
→ तो 5,000 तक

※1
— अगर आपने 'संक्रमण नियंत्रण सुरक्षा योजना※1' टोक्यो महानगर सरकार को सौंप दी हो
・कैपेसिटी 5,001 और 20,000 के बीच, और 5,001 से ज़्यादा मेहमान हों
→तो पूरी कैपेसिटी तक OK
・कैपेसिटी 20,001 से ज़्यादा और 5,001 से ज़्यादा मेहमान हों
→तो 20,000 तक
※2
・कैपेसिटी 20,001 से ज़्यादा और 5,001 से ज़्यादा मेहमान हों और 'सभी लक्षित व्यक्तियों का टेस्ट ※2' (टोक्यो सरकार का नियम) से पता चला कि सभी लोगों को कोरोना नहीं हो
→तो पूरी कैपेसिटी तक OK</td></tr>
<tr><td>सभा स्थल, सभा-हॉल इत्यादि</td></tr>
<tr><td>प्रदर्शनी स्थल, सांस्कृतिक हॉल इत्यादि</td></tr>
<tr><td>डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपिंग सेंटर, इत्यादि</td></tr>
<tr><td>होटल और सराय (केवल भोजन क्षेत्र)</td></tr>
<tr><td>बेसबॉल स्टेडियम, जिम, खेल स्थल इत्यादि</td></tr>
<tr><td>थीम पार्क और मनोरंजन पार्क, पचिनको पार्लर, वीडियो गेम आर्केड इत्यादि</td></tr>
<tr><td>संग्रहालय, कला दीर्घा, चिड़ियाघर इत्यादि</td></tr>
<tr><td>सार्वजनिक स्नानघर जिनमें निजी स्नान कक्ष हैं, वीडियो रेंटल स्टोर जिनमें निजी देखने के कमरे हैं इत्यादि</td></tr>
<tr><td>बड़े स्नान घर, एस्थेटिक उद्योग इत्यादि</td></tr>
<tr><td>ड्राइविंग स्कूल, रटना स्कूल, इत्यादि</td></tr>
</table>

प्रतिष्ठानों से संबंधित अनुरोध (अन्य) ③

प्रतिष्ठान	अनुरोध
फिल्म थिएटर, लाइव थिएटर, प्रदर्शन स्थल इत्यादि	**■कार्यक्रम जिसमें ऊँची आवाज़ निकालते हैं** ·कैपेसिटी 5,001 और 10,000 के बीच हो →तो आधी कैपेसिटी तक ·कैपेसिटी 10,001 से ज़्यादा हो →तो 5,000 तक
सभा स्थल, सभा-हॉल इत्यादि	
प्रदर्शनी स्थल, सांस्कृतिक हॉल इत्यादि	
डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपिंग सेंटर, इत्यादि	
होटल और सराय (केवल भोजन क्षेत्र)	
बेसबॉल स्टेडियम, जिम, खेल स्थल इत्यादि	
थीम पार्क और मनोरंजन पार्क, पचिनको पार्लर, वीडियो गेम आर्केड इत्यादि	
संग्रहालय, कला दीर्घा, चिड़ियाघर इत्यादि	
सार्वजनिक स्नानघर जिनमें निजी स्नान कक्ष हैं, वीडियो रेंटल स्टोर जिनमें निजी देखने के कमरे हैं इत्यादि	
बड़े स्नान घर, एस्थेटिक उद्योग इत्यादि	
ड्राइविंग स्कूल, रटना स्कूल, इत्यादि	